(92)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

दिनांक 20.08.2014 एवं 23.09.2014 को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि उद्योग की स्थापना हेतु क्रय किये जाने वाले भूमि का आच्छादित एरिया का अधिकतम तीन गुणा भूमि की आवश्यकता एवं कुल परियोजना लागत में भूमि का मूल्य अधिकतम 20 प्रतिशत निर्धारित की जाय। इसे लागू करने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही थी। दिनांक 29.01.2015 को हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में स्टाम्प ड्यूटी /निबंधन शुल्क छूट में भूमि का मूल्य एवं आच्छादित एरिया के संबंध में पूर्व में लिये गये निर्णय को वापस लेने पर विचार किया गया एवं यह सहमति बनी कि इस संबंध में उद्योग विभाग अपने स्तर से निर्णय लें एवं इसकी सूचना राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की अगली बैठक में दिया जाय।

उपर्युक्त के आलोक में दिनांक 13.02.2015 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत प्रावधानों की व्याख्या एवं समाधान समिति की अनुशंसा के आलोक में स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क एवं भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट के लिए भूमि की आच्छादित एरिया का अधिकतम तीन गुणा एवं कुल परियोजना लागत में भूमि का मूल्य अधिकतम 20 प्रतिशत की अधिसीमा को शिथिल किया जाता है।

यह प्रावधान सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क एवं भूमि सम्परिवर्त्तन के लिए लागू होगा एवं अन्य अनुदान देयता के लिए निर्धारित सीमा यथावत रहेगी।

प्रस्ताव पर माननीय उद्योग मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० 8/04/2015
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 613 /पटना, दिनांकः– 09.04.15
प्र० २० पत्र० /विवि-14/730/14

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह० 8/04
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 613 /पटना, दिनांकः– 09.04.15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 8/04
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

o/c

(91)

ज्ञापांकः– 613 /पटना, दिनांकः– 09.04.15

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/निगम/प्राधिकार/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, उद्योग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 613 /पटना, दिनांकः– 09.04.15

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 613 /पटना, दिनांकः– 09.04.15

प्रतिलिपिः– जिला समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष, बिहार सिंगल विण्डो अधिनियम, 2006 के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/04
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 613 /पटना, दिनांकः– 09.04.15

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर देने हेतु सूचनार्थ।

8/04/2015
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।